मु.नं.–32 / 2021 GCMS ID-2021/50 ता.रजु–05.04.2021

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

श्याम पटेल एडवोकेट पुत्र श्री शिवप्रसाद पटेल, जिला एवं सैशन कोर्ट परिसर, हॉल नं. 2 सीकर जिला सीकर (राज.) – अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, करौली – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक–26.08.2021

1. वैश्विक महामारी कोविड–19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने की व्यवस्थाओं में एवं प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपील की सुनवाई किये जाने में विलम्ब हुआ।
2. अपीलार्थी को दिनांक 09.06.2021, 16.06.2021, 23.06.2021, 30.06.2021, 07.07.2021, 14.07.21, 22.07.21, 29.07.21, 04.08.21, 12.08.21, 25.08.21, 26.08.21 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी उपस्थित नहीं।
3. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर के कार्यालय में आवेदन पेश कर ग्राम सूरौठ पटवार हल्का सूरौठ जिला करौली के खसरा नंबर 2669, 2680, 2681 एवं 2682 के संबंध में जमाबंदी संवत् 1998 से 2070 तक सभी, मिलान क्षेत्रफल, विशालसिंह पुत्र दीपसिंह हिस्सा 1/2 जाति राजपूत को खातेदारी अधिकार प्राप्त होने संबंधी नामांतरकरण व खातेदारी अधिकार प्राप्त होने का आधार होने की प्रति आदि सूचना चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है।
4. प्रत्यर्थी ने अपीलोत्तर पेश कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर को आवेदन पेश किया था जहां से इस कार्यालय को पत्रांक 975 दिनांक 22.01.2021 द्वारा अंतरित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर का पत्रांक 975 दिनांक 22.01.2021 आदिनांक प्राप्त नहीं होने के कारण अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवायी जा सकी। अब अपील के नोटिस के साथ पत्रांक 975 दिनांक 22.01.2021 प्राप्त हुआ है जिसमें चाही गई सूचना का संबंध तहसीलदार सूरौठ से होने के कारण पत्रांक 333 दिनांक 24.05.2021 द्वारा तहसीलदार सूरौठ को अंतरित किया गया है।
5. तहसीलदार सूरौठ ने पत्रांक–रीडर/2021/141 दिनांक 11.06.2021 से अवगत करवाया है कि अपीलार्थी को सूचना निःशुल्क उपलब्ध करवा दी गई है।
6. अपीलार्थी ने एक प्रार्थना पत्र प्रेषित कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उन्हें प्राप्त हो गई है। अतः वे प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं।
7. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
8. तहसीलदार सूरौठ द्वारा अपीलार्थी को सूचना निःशुल्क प्रेषित की जा चुकी है। अपीलार्थी द्वारा भी प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि उन्हें वांछित सूचना प्राप्त हो गई है एवं वे आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। इस प्रकार अपीलार्थी प्राप्त सूचना से संतुष्ट है। अतः अपील, अपीलार्थी खारिज किया जाना उचित है।
9. अस्तु अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।
10. निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्षकारान को प्रेषित हो।
11. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
12. निर्णय आज दिनांक 26.08.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, करौली